न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भँवरलाल मेहरा, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 07/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
कानाराम पुत्र राणाराम सुथार निवासी– खुडाल राजडाल, तहसील शिव जिला बाडमेर		जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा पारित आदेश कमांक न्यायिक/2019/12622 दिनांक 06.11.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री भरतसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27 मार्च,2024

अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा पारित आदेश कमांक न्यायिक/2019/12622 दिनांक 06.11.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण आवेदन को स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये तलब किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो मे यह कथन किया कि अपीलांट के नाम एक शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2844/1997 में दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबी बीएल गन संख्या 10155/95 जारी होने के बाद समय समय पर अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण करवाया गया तथा अन्तिम बार उपरोक्त शस्त्र का नवीनीकरण दिनांक 28.2.20211 से 31.12.2013 तक के लिये करवाया। इस प्रकार लगातार नवीनीकरण करवाता आया है तथा राजकीय निर्देशों की पालना की गई। इस दरम्यान अपीलार्थी अपने मुम्बई स्थित व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण आर्म्स अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका लेकिन चुनाव के दौरान शस्त्र को थाने में जमा करवाता रहा परन्तु नवीनीकरण नहीं करवाया जा सका।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपरोक्त कारणों को दर्शाते हुए अपीलान्ट ने शस्त्र नवीनीकरण हेतु दिनांक 22.07.2019 को मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए नवीनीकरण हेतु निवेदन किया एवं विलम्ब शुल्क भी प्रार्थना पत्र के साथ जमा करवाया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त विलम्ब अवधि में किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण व शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया। अपीलान्ट के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर से रिपोर्ट तलब की जिसमें भी अपीलार्थी का लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं दर्शाई गई। उक्त सम्पूर्ण जॉच प्रकिया एवं जॉच रिपोर्ट संतोषप्रद होने के उपरान्त भी जिला कलेक्टर महोदय ने दिनांक 06.11.201. को बिना स्पीकिंग आदेश पारित किये ही अपीलान्ट के नवीनीकरण प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र बाबत पूर्व में नवीनीकरण की अवधि को मध्यनजर नहीं रखा और न ही राज्य सरकार के द्वारा संशोधित नियमों पर गौर किया और न ही प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट एवं रिकार्ड को देखा गया और नॉन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा नवीनीकरण हेतु निर्धारित अवधि से विलम्ब हो जाने को क्षमा करने हेतु सशपथ प्रार्थना पत्र पेश किया एवं देरी के लिये निर्धारित विलम्ब शुल्क भी साथ में पेश कर दिया। आयुध नियम 2016 के नियम 24 को सम्पूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जिसमें नियम 24(5) में यह उल्लेख किया है कि "मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असम्यक रूप से दीर्घ नहीं है और सभी नवीनीकरण फीसों का संदाय कर दिया गया है।" लेकिन इस नियम का बिना निष्कर्श निकाले ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उसको अपीलाधीन आदेश के तहत नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी सूचना समय पर नहीं दी गई। अपीलान्ट के द्वारा कलेक्टर कार्यालय जाकर मालूम किया तब अपीलार्थी को पता चला कि उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 6.11.2019 को ही अस्वीकार कर दिया गया है। तब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 27.11.2019 को प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त होने पर अपील तैयार करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है अतः उक्त हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद मानते हुए गुणवगुण पर विचार कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.11.2019 को अपास्त कर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश प्रदान करावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2019 को विधिसम्मत बताते हुए अपील को अस्वीकार किये जाने के निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलान्ट के प्रकरण से सम्बन्धित जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय की मूल पत्रावली ,पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि. का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र की नवीनीकरण की सीमा 31.11.2013 समाप्त होने के पश्चात उसके पुनः नवीनीकरण किये जाने बाबत दिनांक 22.7.2019 को जिला कार्यालय बाडमेर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें अपीलान्ट के द्वारा व्यवसाय हेतु मुम्बई चले जाने तथा शस्त्र सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में जमा रहने के कारण उसके द्वारा नवीनीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करने का उल्लेख कर नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं निर्धारित विलम्ब शुल्क भी जमा करवाया। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में मात्र यही अंकित किया है कि उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञा पत्र की नवीनीकरण किये जाने की अन्तिम अवधि दिनांक 31.12.2013 के पश्चात यानि 05 वर्ष 07 माह में वह व्यवसाय करने हेतु मुम्बई चला गया, इस कारण से वह शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नही करवा पाया, अपीलान्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं हो सकता, धारित शस्त्र के सम्बन्ध में इतने समय तक जानकारी नहीं रखना अपीलान्ट की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। इस विलम्ब के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र में भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया। जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा आर्म्स नियम 2016 के उप नियम 24(5) में दिये गये प्रावधानों के तहत अपीलान्ट/प्रार्थी के नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 06.11.2019 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनाक 27 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(भँवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर